मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांकः 2-7-2008

कमांकः एफ-57-16/2008/20-2/ :: राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शालाओं में शिक्षकों की पदसंरचना को न्याय संगत तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग निरंतर रूप से सुनिश्चित कराने के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। इस आदेश में शिक्षक से तात्पर्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं हेतु स्वीकृत शिक्षक/सहायक शिक्षक/अध्यापक/सहायक अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –2/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3/गुरूजी से है।

2. प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिए स्थायी पदसरंचना हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(अ) प्राथमिक शाला – 2 शिक्षक (सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 3/गुरूजी)

(ब) माध्यमिक शाला – 3 शिक्षक (शिक्षक/अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी – 2) ये शिक्षक निम्नानुसार विषय समूहवार के होंगे :–

(i) गणित समूह – 1 शिक्षक
(ii) सामाजिक विज्ञान समूह – 1 शिक्षक
(iii) विज्ञान समूह – 1 शिक्षक

3 शिक्षकों के उपरोक्तानुसार पद निर्धारण एवं पदस्थापना के उपरांत जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिये स्वीकृत पदो के विरूद्ध उपलब्ध शिक्षकों में से शेष शिक्षकों को प्रतिवर्ष शालावार गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या को आधार मानते हुए घटते कम में सूचीबद्ध करते हुए वितरण किया जाए।

4 जिले की प्रत्येक शासकीय शाला में न्यूनतम शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में शासन निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए।

5. जिन शालाओं में प्रधान अध्यापक नहीं है वहां वरिष्ठतम शिक्षक ही प्रधान अध्यापक के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

6. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शिक्षकों के पदो के निर्माण के सभी पूर्वादेश उपरोक्त आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिक्रमित माने जाएंगे।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन कमांक: एफ 57-16/2008/20-2/ भोपाल,दिनांक: 2-7-2008
प्रतिलिपि:

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. शासन।
5. आयुक्त, अदिवासी विकास विभाग, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
7. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
10. आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
13. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.
15. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव 2/7
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग